

उत्पाद-शुल्क

1944 का 1

114. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 3 का संशोधन ।
3 की उपधारा (1) में,—
- 25 (क) परंतुक में,—
- (i) खंड (i) में, "मुक्त व्यापार क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, "मुक्त व्यापार क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) खंड (ii) में, "उनका भारत में विक्रय अनुज्ञात किया जाता है" शब्दों के स्थान पर, "उन्हें भारत में किसी अन्य स्थान पर लाया जाता है" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) स्पष्टीकरण 2 में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- 30 '(iii) "विशेष आर्थिक क्षेत्र" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।'
115. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3क का लोप किया जाएगा । धारा 3क का लोप।
116. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) में,— धारा 5क का संशोधन।
- (क) परंतुक में,—
- 35 (i) खंड (i) में, "मुक्त व्यापार क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, "मुक्त व्यापार क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) खंड (ii) में, "उनका भारत में विक्रय अनुज्ञात किया जाता है" शब्दों के स्थान पर, "उन्हें भारत में किसी अन्य स्थान पर लाया जाता है" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) स्पष्टीकरण में, "मुक्त व्यापार क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, "मुक्त व्यापार क्षेत्र", "विशेष आर्थिक क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ।
117. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, धारा 11क का संशोधन ।
40 अर्थात् :—
- '(2क) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को किसी सूचना की तामील की गई है वहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी उपधारा (1) के अधीन उस व्यक्ति को सूचना की तामील की तारीख से,—
- (i) यदि किसी उत्पाद-शुल्क का, उद्ग्रहण नहीं किया गया है या संदाय नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या कम संदाय किया गया है या किसी कपट या दुस्संधि, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है या शुल्क के संदाय से बचने के आशय से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन किया गया था, जहां यह संभव हो, एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे शुल्क की रकम अवधारित करेगा; और
- 45 (ii) किसी अन्य दशा में, जहां यह संभव हो, छह मास की अवधि के भीतर, ऐसे शुल्क की रकम, जिसे उद्गृहीत नहीं किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या कम उद्गृहीत किया गया है या कम संदत्त किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है, अवधारित करेगा।
- 50 (2ख) जहां किसी उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया है या संदाय नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या कम संदाय किया गया है या भूल से प्रतिदाय किया गया है, वहां उस उत्पाद-शुल्क से, जिसका उद्ग्रहण नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या संदाय नहीं किया गया है, या कम संदाय किया गया है या भूल से प्रतिदाय किया गया है, प्रभार्य व्यक्ति शुल्क की बाबत उपधारा (1) के अधीन उसको सूचना की तामील के पूर्व शुल्क की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को लिखित रूप से सूचित कर सकेगा, जो ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस प्रकार संदत्त शुल्क की बाबत उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा :
- 55

परंतु केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, शुल्क के कम संदाय की रकम का, यदि कोई है, जिसका, उसकी राय में, ऐसे व्यक्ति द्वारा संदाय नहीं किया गया है, अवधारण कर सकेगा और तब केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी इस धारा में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसी रकम को वसूल करने की कार्यवाही कर सकेगा और उपधारा (1) में निर्दिष्ट "एक वर्ष" की अवधि की गणना संदाय की ऐसी सूचना की तारीख से की जाएगी।

स्पष्टीकरण 1--इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसी दशा में लागू नहीं होगी जिसमें शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया था या संदाय नहीं किया गया था या कम उद्ग्रहण किया गया था या कम संदाय किया गया था या कपट, दुस्संधि या जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण उसका भूल से प्रतिदाय किया गया था या शुल्क के संदाय से बचने के आशय से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया गया था।

स्पष्टीकरण 2--शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि धारा 11कख के अधीन ब्याज इस उपधारा के अधीन व्यक्ति द्वारा संदत्त रकम और यदि यह उपधारा न होती, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा यथावधारित शुल्क के कम संदाय की रकम, यदि कोई है, पर संदेय होगा।

(2ग) उपधारा (2ख) के उपबंध किसी ऐसी दशा में लागू नहीं होंगे जिसमें शुल्क संदेय हो गया हो या जिसका उस तारीख के पूर्व संदाय कर दिया जाना चाहिए था जिसको वित्त विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।

धारा 11कक का संशोधन।

118. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कक को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(2) उपधारा (1) के उपबंध ऐसी दशाओं को लागू नहीं होंगे जिनमें शुल्क या ब्याज उस तारीख को या उसके पश्चात् जिसको वित्त विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, संदेय हो जाता है।"

धारा 11कख का संशोधन।

119. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कख में,--

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) जहां किसी उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया है या संदाय नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण किया गया है या कम संदाय किया गया है या उसका भूल से प्रतिदाय किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति, जो धारा 11क की उपधारा (2) या उपधारा (2ख) के अधीन यथावधारित शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है, ऐसे शुल्क के अतिरिक्त, ऐसी दर से, जो प्रतिवर्ष अठारह प्रतिशत से कम और छत्तीस प्रतिशत से अधिन न हो, उस मास के, जिसमें, यदि धारा 11क की उपधारा (2) और उपधारा (2ख) में अंतर्विष्ट उपबंध नहीं होते तो, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन शुल्क का संदाय किया जाना चाहिए था, यथास्थिति, उत्तरवर्ती मास के पहले दिन से या ऐसे भूल से प्रतिदाय की तारीख से ऐसे शुल्क के संदाय की तारीख तक, जो तत्समय केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियत की गई हो, ब्याज का संदाय करने का दायी होगा :

परंतु ऐसी दशाओं में, जिनमें बोर्ड द्वारा धारा 37ख के अधीन आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने के परिणामस्वरूप शुल्क संदेय हो जाता है और संदेय शुल्क की ऐसी रकम का, यथास्थिति, ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर किसी पश्चात्वर्ती प्रकम पर ऐसे संदाय के विरुद्ध अपील करने के किसी अधिकार को आरक्षित किए बिना पूर्णतः स्वेच्छया संदाय कर दिया जाता है, कोई ब्याज संदेय नहीं होगा ; और अन्य मामलों में, पहले की संदत्त रकम सहित संपूर्ण रकम पर ब्याज संदेय होगा।"

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) उपधारा (1) के उपबंध उन दशाओं में लागू नहीं होंगे जिनमें सूचना, शुल्क उस तारीख से पूर्व संदेय हो गया था या संदत्त किया जाना चाहिए था, जिसको वित्त विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।"

धारा 11खख का संशोधन।

120. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11खख में, "दस प्रतिशत प्रति वर्ष से अन्यून" शब्दों के स्थान पर, "पांच प्रतिशत प्रति वर्ष से अन्यून" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 35 का संशोधन।

121. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) में,--

(i) "तीन मास के भीतर" शब्दों के स्थान पर "साठ दिन के भीतर" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यदि आयुक्त (अपील) का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से पूर्वोक्त साठ दिन की अवधि के भीतर अपील करने से निवारित हो गया था तो वह तीस दिन की और अवधि के भीतर उसे अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।"

धारा 35क का संशोधन।

122. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35क में,--

(क) उपधारा (3) में, "आयुक्त (अपील) ऐसी" शब्दों और कोष्ठकों से आरंभ होने वाले और "पुनःनिर्दिष्ट कर सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"आयुक्त (अपील) ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, जिस विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी पुष्टि, उसका उपांतरण या उसे बातिल करते हुए ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह न्यायसंगत और उचित समझे ;"

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(4क) आयुक्त (अपील), जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील की, उसके फाइल किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर सुनवाई करेगा और उसका विनिश्चय करेगा।"

धारा 35ड का संशोधन।

123. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ड की उपधारा (1) में, "ऐसे आयुक्त" शब्दों के पश्चात् "या किसी अन्य आयुक्त" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 35च का संशोधन।

124. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35च में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि जहां पहले परंतुक के अधीन मांग किए गए शुल्क या पहले परंतुक के अधीन उद्गृहीत शास्ति को जमा करने से अभिमुक्ति के लिए आयुक्त (अपील) के समक्ष कोई आवेदन फाइल किया जाता है वहां आयुक्त (अपील), जहां यह संभव हो, ऐसे आवेदन का, उसके फाइल करने की तारीख से तीस दिन के भीतर, विनिश्चय करेगा।"

नई धारा 38क का अंतःस्थापन।

125. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 38 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 28 फरवरी, 1944 से ही अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

"38क. जहां इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, निकाली गई अधिसूचना या किए गए आदेश अथवा उसके अधीन नियमों, अधिसूचनाओं या ऐसे नियम, निकाली गई किसी अधिसूचना या किए गए किसी आदेश का संशोधन किया जाता है निरसन किया जाता है, अधिक्रमण आदेशों के संशोधन किया जाता है या विखंडन किया जाता है वहां जब तक कोई भिन्न आशय प्रतीत न हो, ऐसे संशोधन, निरसन, अधिक्रमण या विखंडन से,—

- 5 (क) ऐसी कोई बात पुनः प्रवर्तित नहीं होगी जो उस समय प्रवृत्त या विद्यमान नहीं है जब संशोधन, निरसन, अधिक्रमण या विखंडन प्रभावी हुआ ; या
- (ख) इस प्रकार संशोधित, निरसित, अधिक्रांत या विखंडित किसी नियम, अधिसूचना या आदेश के पूर्व में प्रवर्तन पर या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई किसी बात या उठाई गई हानि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; या
- 10 (ग) इस प्रकार संशोधित, निरसित, अधिक्रांत या विखंडित किसी नियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; या
- (घ) इस प्रकार संशोधित, निरसित, अधिक्रांत या विखंडित किसी नियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन या उल्लंघन में किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; या
- (ङ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ,—
- 15 और कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित, जारी या प्रवृत्त रहेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड इस प्रकार अधिरोपित हो सकेगा मानो, यथास्थिति, नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश संशोधित, निरसित, अधिक्रांत या विखंडित नहीं किया गया हो ।

126. 28 फरवरी, 1944 से ही प्रारंभ होने वाली और उस दिन को, जिसको वित्त विधेयक, 2001 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की गई कतिपय होती है, समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, निकाली गई किसी अधिसूचना या किए गए किसी आदेश या ऐसे नियम के अधीन निकाली गई कोई अधिसूचना या किए गए आदेश के अधीन की गई किसी कार्यवाही या किसी बात या किए जाने वाले किसी लोप या यह तात्पर्यित है कि वह की गई है लोप किया गया है, के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमाम्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई या किए जाने से लोप की गई या सदैव की गई समझी जाएगी मानो वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 125 द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहा हो और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

- 25 (क) ऐसे किसी नियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन किसी उत्पाद-शुल्क माल की बाबत उक्त अवधि के दौरान की गई किसी कार्यवाही या किसी बात या किए गए किसी लोप के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विधिमाम्य रूप से इस प्रकार की गई है या सदैव की गई है या किया गया है मानो वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 125 द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहा हो ;

- 30 (ख) ऐसे किसी नियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन किसी उत्पाद-शुल्क माल की बाबत की गई किसी बात या किए गए किसी लोप के लिए कोई बात या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष न तो चलाई जाएगी न जारी रखी जाएगी और इस प्रकार की गई किसी कार्यवाही या किसी बात या किए गए लोप के संबंध में किसी डिक्री या आदेश का किसी न्यायालय द्वारा कोई प्रवर्तन नहीं किया जाएगा मानो वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 125 द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहा हो ;

- 35 (ग) ऐसे शुल्क या ब्याज या शास्ति या जुर्माने या निवेशों या पूंजी माल की बाबत शुल्क के जमा अन्य प्रभारों की, जिनका, यथास्थिति, संग्रहण या प्रतिदाय नहीं किया गया है, ऐसी सभी रकमों की वसूली की जाएगी मानो वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 125 द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहा हो।

स्पष्टीकरण—शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई ऐसा कार्य या लोप अपराध के रूप में दण्डनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं रही होती तो, इस प्रकार दण्डनीय नहीं होता।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

- 40 127. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है),— 1986 के अधिनियम 5 का संशोधन ।

- (i) पहली अनुसूची का चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ;
- (ii) दूसरी अनुसूची का पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ;

- 45 128. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 का (जिसे इसमें इसके पश्चात् अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क 1957 के अधिनियम 58 का संशोधन ।

129. (1) सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल की दशा में, जो विनिर्मित या उत्पादित माल हैं, राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक शुल्क के (जिसे इसमें इसके पश्चात् राष्ट्रीय विपत्ति शुल्क कहा गया है) नाम से ज्ञात उत्पाद-शुल्क, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा । राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक शुल्क।

- 50 (2) सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर प्रभार्य राष्ट्रीय विपत्ति शुल्क केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किसी अन्य उत्पाद-शुल्क के अतिरिक्त होगा ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम और तद्वधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो शुल्कों और शास्ति के अधिरोपण के प्रतिदाय और छूट से संबंधित हैं, यथाशक्य, सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की बाबत इस धारा के अधीन उद्गृहीत राष्ट्रीय विपत्ति शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, उक्त अधिनियम या उन नियमों के अधीन ऐसे माल पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।